निर्णय सुरक्षित रखे जाने की तिथि	निर्णय उद्घोषित किए जाने की तिथि	निर्णय वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की तिथि	
		प्रवर्तनीय	संपूर्ण
14.08.2025	03.11.2025	--	03.11.2025

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक अपील सं. 319/ 2008

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

- लक्ष्मीकांत द्विवेदी, पिता- श्री केशव दत्त द्विवेदी, आयु- लगभग 32 वर्ष, निवासी- सुभाष चौक, सुपेला, पुलिस थाना-सुपेला, जिला- दुर्ग (छ. ग.)

---अपीलार्थी

बनाम

- छ्त्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- थाना सुपेला, दुर्ग, जिला- दुर्ग (छ. ग.)

--- प्रत्यर्थी

दाण्डिक अपील सं. 331/ 2008

1. कैलाश ताम्रकार, पिता- स्वर्गीय श्री अमरचंद ताम्रकार, आयु- लगभग 24 वर्ष, निवासी- रामनगर मुक्तिधाम, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के सामने, सुपेला, थाना-सुपेला, जिला-दुर्ग (छ. ग.)

2. सुरेश कुमार गोंड, पिता- राजबिहारी गोंड, आयु- लगभग 24 वर्ष, निवासी- शिवाजी चौक सुपेला, थाना- सुपेला, जिला- दुर्ग (छ. ग.)

3. मोतीलाल सेन, पिता- मोहनलाल सेन, आयु- लगभग 22 वर्ष, निवासी- शिवाजी चौक, सुपेला, थाना- सुपेला, जिला- दुर्ग (छ. ग.)

---याचिकाकर्ता

बनाम

- छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- थाना सुपेला, दुर्ग, जिला- दुर्ग (छ. ग.)

---प्रत्यर्थी /राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थियों की ओर से	:	दाण्डिक अपील सं. 319/2008 में श्रीमती इंदिरा त्रिपाठी, अधिवक्ता तथा दाण्डिक अपील सं. 331/2008 में श्री उत्तम पाण्डेय, अधिवक्ता की ओर से श्री सुनील पाण्डेय, अधिवक्ता।
राज्य की ओर से	:	श्री आशीष शुक्ला, अतिरिक्त महाधिवक्ता

<u>माननीय श्रीमती न्यायमूर्ति रजनी दुबे</u>

<u>सी. ए. व्ही. निर्णय</u>

1. चूँकि ये दोनों अपीलें सप्तम् अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफ. टी. सी.), दुर्ग, जिला- दुर्ग (छ. ग.) द्वारा सत्र विचारण सं. 38/2007 में पारित 29.02.2008 दिनांकित दोषसिद्धि और दण्डादेश के आक्षेपित निर्णय से उद्भूत होती हैं, इसलिए उनकी सुनवाई एक साथ की जा रही है और इस सामान्य निर्णय द्वारा उनका निराकरण किया जा रहा है। आक्षेपित निर्णय द्वारा, प्रत्येक अपीलार्थी को सिद्धदोष किया जाकर निम्नानुसार दण्डादेश दिया गया हैः-

दोषसिद्धि		दण्डादेश
भा.द.वि. की धारा 306 सहपठित धारा 34		03 वर्ष का सश्रम कारावास तथा रु. 500/- का अर्थदण्ड और अर्थदण्ड की राशि के भुगतान में व्यतिक्रम की दशा में 3 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि दिनांक 20.06.2003 को शाम लगभग 7:45 बजे अभियुक्तों ने शिकायतकर्ता- शिव गणेश के पुत्र अर्थात् मृतक शुभम् द्विवेदी के साथद्वारा कुछ धन के लेनदेन और बकाया के संबंध में गंदी भाषा का प्रयोग किया, उसे पीटा तथा धमकी दी और इस पर मृतक शुभम् ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी, इसलिए उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर, आरोपियों के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा 294, 323, 506 तथा 324 सहपठित धारा 34 के अधीन अपराध सं. 403/2003 दर्ज की गई थी और उनके विरूद्ध उपरोक्त अपराध दर्ज होने के कारण, अभियुक्तों ने मृतक के विरूद्ध बदले की भावना रखी और उन सभी ने उसे अपने विरूद्ध आपराधिक प्रकरण वापस लेने के लिए उसे धमकाया। यद्यपि, अभियुक्तों द्वारा जबरदस्ती, उत्पीड़न के अधीन होने के कारण, यह अधिकथित है कि, मृतक शुभम् द्विवेदी ने 04.10.2003 को सेक्टर- 6 पंप हाउस के पास एक रेलगाड़ी से कटकर आत्महत्या कर ली थी, इसलिए मृतक के पिता अर्थात् शिकायतकर्ता शिव गणेश द्वारा थाना- सुपेला में एक लिखित शिकायत दर्ज की गई और उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्तों के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा 306 सहपठित धारा 34 के तहत अपराध दर्ज किया गया था। अभियोजन पक्ष ने उचित और आवश्यक अन्वेषण पूर्ण करने के बाद, संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष आरोप- पत्र प्रस्तुत किया, जिन्होंने बदले में विचारण के लिए प्रकरण को उपार्पित किया। आरोप-पत्र में निहित सामग्री के आधार पर, विद्वान विचारण न्यायालय ने आरोपियों के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा 306 सहपठित

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

धारा 34 के तहत कथित अपराध के लिए आरोप विरचित किया किए। दोष से इनकार करने पर अभियुक्तों का विचारण किया गया।

3. अपराध को स्थापित करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थियों के विरूद्ध अपने प्रकरण को साबित करने के लिए 13 साक्षियों का परीक्षण किया है। अभियुक्तों/अपीलार्थियों के कथन भी दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अभिलिखित किए गए, जिनमें उन्होंने अभियोजन प्रकरण में उनके विरूद्ध प्रकट होने वाली सभी आपराधिक परिस्थितियों से इनकार किया और इस प्रकरण में अपनी बेगुनाही और गलत आलिप्तता का अभिवाक् किया। यद्यपि, बचाव में उनके द्वारा दो साक्षियों का परीक्षण किया गया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

4. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य के मूल्यांकन के बाद विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थियों को सिद्धदोष किया और उन्हें दण्डादेश दिया जैसा कि इस निर्णय की प्रारंभिक कण्डिका मेंउल्लेख किया गया है। इसलिए यह अपील की गई है।

5. अपीलार्थियों के लिए विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि यह गलत तथा अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य के विरूद्ध है कि अभियोजन पक्ष ने भा.द.वि. की धारा 376 के तहत अपराध के लिए अपना प्रकरण अपीलार्थियों के विरूद्ध साबित कर दिया है। विद्वान विचारण न्यायालय अ.सा.-1, अ.सा.-2, अ.सा.-3 और अ.सा.-13 के साक्ष्य का विश्लेषण करने में विफल रहा है और गलत तरीके से अभिनिर्धारित किया है कि उन्होंने आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए सामग्री स्थापित की है, यद्यपि ऐसी कोई विधिक सामग्री नहीं है जो कथित अपराध के लिए अपीलार्थियों को सिद्धदोष करने के लिए पर्याप्त हो और प्र.सू.प्र. दर्ज करने में तीन वर्ष के असामान्य विलंब को विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा ध्यान में नहीं रखा गया है क्योंकि घटना 04.10.2003 को हुई थी और रिपोर्ट 25.03.2006 को दर्ज कराई गई थी जो अभियोजन पक्ष की कहानी में एक धब्बा

पैदा लगाती है। आगे यह तर्क किया गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय अपीलार्थियों के बचाव पर विचार करने में विफल रहा है और उन्हें कथित अपराध के लिए गलत तरीके से सिद्धदोष किया है, यद्यपि भा.द.वि. की धारा 376 का कोई भी घटक उनके विरूद्ध साबित नहीं हुआ है और विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा कुछ संदेह के आधार पर तैयार की गई उपरोक्त धारणा यद्यपि मजबूत है, यह विधिक सबूत का स्थान नहीं ले सकता है और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि बचाव की संभावना अभियोजन प्रकरण के बजाय अधिक संभावित है। विद्वान विचारण न्यायालय ने मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों का सूक्ष्मता से विश्लेषण नहीं किया और इस प्रकार अपीलार्थियों को कथित अपराध के लिए गलत तरीके से सिद्धदोष किया। इसलिए, आक्षेपित निर्णय अपास्त किए जाने योग्य है और अपीलार्थी उपरोक्त आरोप से दोषमुक्त होने के हकदार हैं। अपनी तर्कों के समर्थन में, उन्होंने **प्रकाश व अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य व एक अन्य**[1]**, संजू @ संजय सिंह सेंगर बनाम मध्य प्रदेश राज्य**[2] के मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यालालय के निर्णयों तथा **रोमन लाल व अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य**[3] के मामले में इस न्यायालय के निर्णय का अवलंब लिया है।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के तर्कों का विरोध करते हैं और निवेदन करते हैं कि अभियोजन पक्ष ने अपने प्रकरण को उचित संदेह से परे साबित कर दिया है और विद्वान विचारण न्यायालय ने मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों का बारीकी से विश्लेषण करने के बाद, वर्तमान अपीलार्थियों को कथित अपराध के लिए सही तरीके से सिद्धदोष किया है और दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय और दण्डादेश में इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

---

1 2024 SCC OnLine SC 3835

2 AIR 2002 Supreme Court 1998

3 CRA No. 170 of 2007

7. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अत्यंत सावधानी के साथ परिशीलन किया है।

8. विद्वान विचारण न्यायालय के अभिलेख से स्पष्ट है कि उसने अपीलार्थियों के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा 306 सहपठित धारा 34 कंडिका के तहत अपराध के लिए आरोप विचरित किया और विद्वान विचारण न्यायालय ने मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों के सूक्ष्म विश्लेषण के बाद अपीलार्थियों को भा.द.वि. की धारा 306 सहपठित धारा 34 के तहत अपराध के लिए सिद्धदोष किया और इस निर्णय की प्रारंभिक कंडिका में उल्लिखित दण्डादेश दिया।

9. इस प्रकरण में यह एक स्वीकृत स्थिति है कि मृतक शुभम् द्विवेदी की मृत्यु 04.10.2003 को हुई क्योंकि वह रेलगाड़ी ने कुचला गया था और उसका शरीर को दो टुकड़ों में कट गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. अ.सा.-11, डॉ. लाल मोहम्मद खान, जिन्होंने मृतक शुभम् द्विवेदी का शव-परीक्षण किया, ने प्र. P/15 के माध्यम से अपनी रिपोर्ट दी और अभिमत दिया कि मृत्यु का कारण अनेक मृत्युपूर्व चोटों के अत्यधिक रक्तस्राव के कारण आघात था।

11. अ.सा.-1 शिवगणेश द्विवेदी, मृतक के पिता ने कथन किया कि उनका पुत्र शासकीय विद्यालय, सुपेला में पढ़ रहा था और उसके स्कूल के सामने आरोपी/संजीव द्विवेदी का होटल स्थित है, जहां उसका पुत्र अक्सर नाश्ता किया करता था, इसलिए उसका पुत्र नाश्ते के संबंध में अभियुक्त/अपीलार्थियों के रु. 500/- और उसी के लिए कुछ अन्य राशि के कर्ज में था। 03.06.2003 को रात्रि लगभग 10:00 बजे, संजीव द्विवेदी, सुरेश और लक्ष्मीकांत नाम के अभियुक्त उस समय उनके घर आए जब वे सो रहे थे, उन्होंने दरवाजा खटखटाया और जब इन्होंने दरवाजा खोला, तो अभियुक्त/संजीव द्विवेदी ने उनसे कहा कि उसके पुत्र पर रु. 500/- की राशि बकाया थी और उसने कहा कि उन्हें ब्याज राशि का भी भुगतान करना होगा। 05.06.2003 को, जब उसका पुत्र (मृतक) अपने

दोस्त मनीष के साथ संजीव की दुकान के सामने लूना पर आ रहा था, तो अभियुक्त संजीव, सुरेश और लक्ष्मीकांत ने उसे रोक दिया और धन के लेन-देन के संबंध में उसके साथ दुर्व्यवहार किया और हमला किया। 20.06.2003 को उसका पुत्र सब्जियाँ खरीदने के लिए सुपेला बाज़ार गया जहाँ उसने मैत्री गार्डन में एक ठेला लगाया था। शाम लगभग 7:40 बजे अभियुक्तों ने उसके पुत्र को अपनी दुकान पर बुलाया जहां उनके मध्य धन के लेन-देन को लेकर बहस हुआ और उसके बाद अभियुक्तों ने उसके पुत्र पर लकड़ी की छड़ी में लगी गुप्ती तलवार से हमला किया, जिससे उसके शरीर के विभिन्न हिस्सों पर चोटें आईं, यद्यपि उसका पुत्र किसी तरह मौके से भागने में सफल रहा और घर आ गया। तत्पश्चात् उसने अभियुक्तों के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई। घटना दिनांक को, उसने दशहरा के अवसर पर पावर हाउस लाल मैदान में एक ठेला लगाया था और उसके पुत्र ने भी अपने मित्र मनीष के साथ आइसक्रीम का ठेला लगाया था। कुछ समय बाद, मनीष ने उसे बताया कि शुभम् ठेले के पास मौजूद नहीं था। फिर वह अपने पुत्र को ढूंढने गया और सुबह लगभग 4:00 बजे, पावर हाउस रेलवे स्टेशन के पास, उसे रेलवे के कर्मचारियों से ज्ञात हुआ कि सेक्टर-6 पंप हाउस के सामने, लड़के का एक अज्ञात शव रेलवे पटरियों पर पड़ा हुआ था और शव को देखने के बाद, उसने पहचाना कि शव उसके पुत्र का था, जो दो हिस्सों में विभाजित हो गया था। फिर उसने प्र.**P**/1 के माध्यम से एक लिखित शिकायत थाना- सुपेला में दिया और प्र.सू.प्र. दर्ज कराया जो प्र.**P**/2 है। अपने प्रतिपरीक्षण में, उसने इस तथ्य को स्वीकार किया कि रेलवे ट्रैक के पास उसके पुत्र का शव मिलने के बाद, उसने तुरंत लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। उसने इस तथ्य को स्वीकार किया कि उसने उक्त घटना के 13 दिनों के बाद थाना- सुपेला में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई। उसने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 36 में यह भी स्वीकार किया कि उसे नहीं पता था कि वर्ष 2003 में शिकायत के संबंध में क्या कार्रवाई की गई है और उसने प्र.**P**/1 के माध्यम से लिखित शिकायत वर्ष 2006 में दर्ज कराई थी।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

12. अ.सा.-2 मनीष कुमार, जो मृतक शुभम् द्विवेदी का मित्र है, ने भी अ.सा.-1 के कथन का समर्थन किया है और कहा है कि अभियुक्तों ने मृतक को 20.06.2003 को पीटा और 03.10.2003 को उसने अ.सा.-1 और मृतक शुभम् के साथ मिलकर दशहरा के अवसर पर लाल मैदान में आइसक्रीम का ठेला लगाया था और उस समय शुभम् कहीं और चला गया और वह वापस नहीं आया। फिर उसने मृतक के पिता से पूछा, परन्तु उसे भी मृतक शुभम् के बारे में पता नहीं था और वे खोजबीन के लिए गए और बाद में उन्हें पुलिस से ज्ञात हुआ कि रेल पटरियों पर एक शव पड़ा हुआ था और जब उन्होंने उक्त शव को देखा तो उन्होंने बताया कि उक्त शव मृतक शुभम् का था, जो दो हिस्सों में विभाजित हो गया था। उसने आगे कथन किया कि मृतक आमतौर पर उदास रहता था और यह कहकर उसके साथ कारण साझा करता था कि उसे अभियुक्तों से धमकी मिली थी।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. अ.सा.-3, वैजयंतीमाला द्विवेदी, जो मृतक शुभम् की माता है, ने यह भी कहा है कि अभियुक्त व्यक्ति सदैव उसके पुत्र को धन के लेन-देन को लेकर धमकी देते थे और उन्होंने उसके पुत्र पर हमला किया था, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली।

14. इस प्रकरण में, यह स्पष्ट है कि मृतक शुभम् की मृत्यु 04.10.2003 को हुई थी और अभियोजन पक्ष द्वारा 25.03.2006 को प्र.सू.प्र. दर्ज किया गया था। मृतक के पिता अ.सा.-1 ने 24.03.2006 को लिखित शिकायत दी थी।

15. अ.सा.-1, मृतक के पिता, अ.सा.-2, मृतक के मित्र और अ.सा.-3, मृतक की माता, इन सभी ने कहा है कि मृतक को मानसिक पीड़ा हुई क्योंकि अभियुक्तों ने उस पर हमला किया और धमकी दी।

16. **प्रकाश (पूर्वोक्त)** के मामले में कण्डिका 25, 26, 27 और 28 में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की है:-

> **25. संजू @ संजय सिंह सेंगर (पूर्वोक्त) के प्रकरण के निर्णय का अवलंब लेते हुए इस न्यायालय ने गुरजित सिंह (पूर्वोक्त) के प्रकरण में भा.द.वि. की धारा 306 के**

तहत दोषसिद्धि को अपास्त कर दिया क्योंकि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह स्पष्ट था कि अभियुक्त- अपीलार्थी द्वारा धन की अवैध मांग के संबंध में मृतका के अंतिम बार अपने मायके जाने और उसके आत्महत्या करने के दिनांक के मध्य लगभग दो महीने का अंतराल था। ऐसे में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यह दर्शाने के लिए अभिलेख पर कुछ भी नहीं है कि आत्महत्या करने और अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा की गई अवैध मांग के मध्य निकट संबंध था। इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः

> "36. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से आगे यह देखा जा सकता है कि अवैध मांग के संबंध में मृतका की उसके माता-पिता से अंतिम भेंट और आत्महत्या करने के दिनांक के मध्य का अंतराल लगभग दो माह का है। इस प्रकार, यह दर्शाने हेतु अभिलेख पर कुछ भी नहीं है कि आत्महत्या करने और अपीलार्थी द्वारा की गई अवैध मांग के मध्य निकट संबंध था। संजू बनाम मध्य प्रदेश राज्य [संजू बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2002) 5 एस.सी.सी. 371:2002 एस. सी. सी. (दाण्डिक) 1141] में इस न्यायालय ने पाया कि अभियुक्त द्वारा मृतक को "जाकर मर जाने" के लिए कहने और मृतक के "आत्महत्या करने" के मध्य 48 घंटे का अंतराल था। इस तरह, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यह स्थापित करने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि अभियुक्त ने मृतका द्वारा की गई आत्महत्या को दुष्प्रेरित किया था।"
>
> (जोर दिया गया)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

	26. इस प्रकार, इस न्यायालय ने लगातार यह दृष्टिकोण अपनाया है कि अभियुक्तगण द्वारा उत्तेजित करना या उकसाना आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण के अपराध का मूल तत्व है। यद्यपि, कई मौकों पर यह स्पष्ट किया गया है कि उकसाने के कृत्य को आत्महत्या के कृत्य से जोड़ने के लिए, दोनों घटनाएं एक-दूसरे के निकट होनी चाहिए ताकि एक संबंध या एक श्रृंखला निर्मित हो सके, जिसमें मृतक द्वारा आत्महत्या का कृत्य अभियुक्तगण द्वारा उकसाने के कृत्य का प्रत्यक्ष परिणाम हो। 27. मोहित सिंघल (पूर्वोक्त) के प्रकरण में इस न्यायालय ने दोहराया कि उकसाने के कृत्य की तीव्रता ऐसी और इतनी निकट होनी चाहिए कि वह मृतक को ऐसी स्थिति में ढकेल दे कि उसके पास आत्महत्या करने के अलावा कोई विकल्प न बचे। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जिस घटना ने कथित रूप से मृतक को आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित किया था, वह घटना दो सप्ताह पहले हुई थी और यहां तक कि सुसाइड नोट भी उस दिनांक से तीन दिन पहले लिखा गया था जिस दिन मृतक ने आत्महत्या की थी और इसके अलावा, इस बात का कोई आरोप नहीं था कि आरोपी- अपीलकर्ता द्वारा आत्महत्या के दिनांक के निकट कोई कृत्य किया गया था। इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"11. वर्तमान प्रकरण में, तीसरे उत्तरवादी की शिकायत और सुसाइड नोट की सामग्री को मानते हुए, यह निष्कर्ष निकालना असंभव है कि अपीलार्थियों ने अपमानजनक भाषा का उपयोग करके और उस उद्देश्य के लिए बेल्ट से हमला करके तीसरे उत्तरवादी द्वारा उसके पति से उधार ली गई राशि के भुगतान की मांग करके मृतका को आत्महत्या करने के लिए उकसाया। कथित घटना कथित तौर पर आत्महत्या के दिनांक से दो सप्ताह से अधिक पहले हुई थी। ऐसा कोई

आरोप नहीं है कि अपीलार्थियों द्वारा आत्महत्या के दिनांक के निकट कोई कृत्य किया गया था। कल्पना के किसी भी विस्तार से, अपीलार्थियों का कथित कार्य आत्महत्या करने के लिए उकसाने के बराबर नहीं हो सकता है। मृतका ने तीसरे उत्तरवादी पर उसकी बुरी आदतों के कारण मुसीबत में पड़ने का दोष लगाया है।

12. अतः हमारे सुविचारित मत में, अपीलार्थियों के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा 306 के तहत दण्डनीय अपराध नहीं बनता था। अतः उनके खिलाफ विचारण जारी रखना विधि की प्रक्रिया के दुरुपयोग के अलावा कुछ नहीं होगा।

(जोर दिया गया)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

28. नरेश कुमार बनाम हरियाणा राज्य के प्रकरण में इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः-

"20. मारियानो एंटो ब्रूनो बनाम राज्य (मारियानो एंटो ब्रूनो बनाम राज्य, (2023) 15 एस. सी. सी. 560:2022 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1387], में भा.द.वि. की धारा 306 के तहत दोषी होने के संदर्भ में दिए गए उपरोक्त संदर्भित निर्णयों का उल्लेख करने के बाद निम्नानुसार टिप्पणी की : (एस. सी. सी. कंडिका 45)

"45. यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि आत्महत्या के कथित दुष्प्रेरण के मामलों में आत्महत्या के लिए उकसाने के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कार्यों का प्रमाण होना चाहिए। केवल अभियुक्त द्वारा घटना के समय के निकट कोई सकारात्मक कार्रवाई किए बिना उत्पीड़न के आरोप पर, जिसके कारण व्यक्ति को आत्महत्या करवाया या करने के लिए मजबूर किया, भा.द.वि. की धारा

306 के संदर्भ में दोषसिद्धि स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

(जोर दिया गया)

17. इस मोड़ पर, भारतीय दण्ड विधान की धारा 376 और 107 के उपबंधों पर गौर करना उचित है, जो निम्नानुसार हैं:-

> **"306. आत्महत्या का दुष्प्रेरण**- यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करे, तो जो कोई ऐसी आत्महत्या का दुष्प्रेरण करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डित होगा।
>
> **107. किसी बात का दुष्प्रेरण-** वह व्यक्ति किसी बात के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, जो-
>
> पहला- उस बात को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है; अथवा
>
> दूसरा- उस बात को करने के लिए किसी षड़यंत्र में एक या अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है, यदि उस षड़यंत्र के अनुसरण में, और उस बात को करने के उद्देश्य से; कोई कार्य या अवैध लोप घटित हो जाए; अथवा
>
> तीसरा- उस बात के लिए किए जाने में किसी कार्य या अवैध लोप द्वारा साशय सहायता करता है।
>
> स्पष्टीकरण 1. जो कोई व्यक्ति जानबूझकर दुर्व्यपदेशन द्वारा, या तात्विक तथ्य, जिसे प्रकट करने के लिए वह आबद्ध है, जानबूझकर छिपाने द्वारा, स्वेच्छया किसी बात का किया जाना कारित या उपाप्त करता है, अथवा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

कारित या उपाप्त करने का प्रयत्न करता है, वह उस बात का किया जाना उकसाता है, यह कहा जाता है।

स्पष्टीकरण 2. जो कोई या तो किसी कार्य के किए जाने से पूर्व या किए जाने के समय, उस कार्य को किए जाने को सुकर बनाने के लिए कोई बात करता है और तद्द्वारा उसके किए जाने को सुकर बनाता है, वह उस कार्य के करने में सहायता करता है, यह कहा जाता है।

18. **रोमन लाल (पूर्वोक्त)** के मामले में इस न्यायालय द्वारा कण्डिका 14 एवं 15 में निम्नानुसार टिप्पणी की गई है तथा अभिनिर्धारित किया गया है:-

"14. पटेल बाबूभाई मनोहरदास (पूर्वोक्त) के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यालालय ने भा.द.वि. की धारा 107 एवं 307 के विस्तार पर विचार किया है तथा कण्डिका 16 से 18 में आत्महत्या के दुष्प्रेरण पर निम्नानुसार अभिव्यक्त किया है:-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"16. अतः भा.द.वि. की धारा 307 में महत्वपूर्ण शब्द 'दुष्प्रेरण' है। 'भा.द.वि. की धारा 107 में 'दुष्प्रेरण' को परिभाषित किया गया है। भा.द.वि. की धारा 107 के अनुसार, वह व्यक्ति किसी बात के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, जो उस बात को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है; अथवा उस बात को करने के लिए किसी षड़यंत्र में एक या अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है, यदि उस षड़यंत्र के अनुसरण में, और उस बात को करने के उद्देश्य से; कोई कार्य या अवैध लोप घटित हो जाए; अथवा उस बात के लिए किए जाने में किसी कार्य या अवैध लोप द्वारा साशय सहायता करता है। धारा 107 के दो स्पष्टीकरण हैं। स्पष्टीकरण 1 के अनुसार, जो कोई व्यक्ति जानबूझकर दुर्व्यपदेशन द्वारा, या तात्विक तथ्य, जिसे प्रकट करने के लिए वह आबद्ध है, जानबूझकर छिपाने द्वारा, स्वेच्छया किसी बात का

किया जाना कारित या उपाप्त करता है, अथवा कारित या उपाप्त करने का प्रयत्न करता है, वह उस बात का किया जाना उकसाता है, यह कहा जाता है। स्पष्टीकरण 2 यह स्पष्ट करता है कि जो कोई या तो किसी कार्य के किए जाने से पूर्व या किए जाने के समय, उस कार्य को किए जाने को सुकर बनाने के लिए कोई बात करता है और तद्द्वारा उसके किए जाने को सुकर बनाता है, वह उस कार्य के करने में सहायता करता है, यह कहा जाता है।

17. भा.द.वि. की धारा 114 भा.द.वि. की धारा 107 का स्पष्टीकरण है। भा.द.वि. की धारा 114 में जो कहा गया है वह यह है कि जब कभी कोई व्यक्ति, जो अनुपस्थित होने पर दुष्प्रेरक के नाते दण्डनीय होता, उस समय उपस्थित हो जब वह कार्य या अपराध किया जाए जिसके लिए वह दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप दण्डनीय होता, तब यह समझा कि उसने ऐसा कार्य या अपराध किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. रमेश कुमार बनाम छत्तीसगढ़ राज्य (2001) 9 एस. सी. सी. 618 में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि 'उकसाने' का अर्थ है 'कोई कार्य' करने के लिए उद्यत, प्रेरित, उत्तेजित या प्रोत्साहित करना। 'उकसाने' की आवश्यकत तत्वों को पूरा करने के लिए, यह आवश्यक नहीं है कि उस प्रभाव के लिए वास्तविक शब्दों का उपयोग किया जाए या यह कि शब्द या कृत्य आवश्यक रूप से और विशेष रूप से परिणाम का संकेत देने वाले हों। जहां अभियुक्त अपने कार्य या लोप या अपने निरंतर आचरण से ऐसी स्थिति उत्पन्न करता है कि मृतक के पास आत्महत्या करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचता है, तो 'उकसाने' का अनुमान लगाया जा सकता है। वास्तव में परिणाम की इच्छा किए बिना

क्रोध या भावना के रूप में बोले गए शब्द को 'उकसाना' नहीं कहा जा सकता है।"

15. स्वामी प्रहलादास बनाम मध्य प्रदेश राज्य व एक अन्य, (1995) सप (3) एस. सी. सी. 438) में अपीलार्थी ने मृतक से कहा कि 'जाओ और मरो' और उसके बाद मृतक ने आत्महत्या कर ली।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि :-

> **"..........वे शब्द अनौपचारिक प्रकृति के हैं जो अक्सर झगड़ते हुए लोगों मध्य क्षणिक आवेश में उपयोग किए जाते हैं। इसके बाद कुछ भी गंभीर होने की उम्मीद नहीं होती है। उक्त कृत्य इस धारणा पर आपराधिक मनःस्थिति को प्रतिबिंबित नहीं करता है कि इन शब्दों को सभी घटनाओं में पालन किया जाएगा......"**

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

19. प्रकरण के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए और माननीय सर्वोच्च न्यालालय और इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णयों में निर्धारित विधि पर विचार करते हुए, वर्तमान प्रकरण में भी, प्र.सू.प्र. (प्र.P/2) से यह काफी स्पष्ट है कि मृतक पर हमला करने की घटना 03.06.2003 और 20.06.2003 को हुई थी और मृतक शुभम् द्विवेदी की मृत्यु 04.10.2003 को हुई थी और मृतक के पिता (अ.सा.-1) ने 24.03.2006 को लिखित शिकायत दी और प्र.सू.प्र. 25.03.2006 को दर्ज कराई गई। इसके अलावा, यह भी स्पष्ट है कि शव पंचनामा ज्ञापन (प्र.P/5) तैयार करते समय, मृतक का पिता (अ.सा.-1) वहां उपस्थित था, जिसमें उसने अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए थे, परन्तु उस समय उसने अभियुक्तों के विरूद्ध आत्मह**त्या के लिए उकसाने या उकसाने के संबंध में कोई शिकायत दर्ज नहीं की थी। इसके अलावा, यह स्पष्ट है कि जून,** 2003

से अक्टूबर, 2003 तक हमले की घटना और मृतक की मृत्यु के मध्य चार माह से अधिक समय का अंतराल है।

20. **प्रकाश (पूर्वोक्त)** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पहलू पर निम्नानुसार टिप्पणी की है:-

> **"34. यद्यपि, हम उस मुद्दे में नहीं जाना चाहते हैं। यदि हम महालोकादलत के दिनांक को 17 फरवरी 2015 को तथ्यात्मक रूप से सही मान भी लेते हैं, फिर भी दोनों घटनाओं के मध्य पर्याप्त अंतर है जो अपीलार्थियों द्वारा उकसावे या उत्तेजना को निरर्थक बना देता है। प्रस्तुत विषय-वस्तु का मुख्य सिद्धांत यह है कि अभियुक्तगण द्वारा उकसाने के सकारात्मक कृत्य और पीड़ित द्वारा आत्महत्या करने के मध्य निकटता होनी चाहिए। निकटता ऐसी होनी चाहिए जिससे उकसाने के कृत्य और आत्महत्या के अधिनियम के मध्य एक स्पष्ट संबंध बन सके। जैसा कि संजू @ संजय के प्रकरण में अभिनिर्धारित किया गया था कि यदि मृतक ने अपीलार्थियों के शब्दों को गंभीरता से लिया था, दोनों घटनाओं के मध्य का अंतराल मृतक को मामले पर विचार करने हेतु पर्याप्त समय दिया होगा। ऐसे में, एक महीने से अधिक का अंतराल दोनों कृत्यों के मध्य के संबंध या निकटवर्ती कड़ी को भंग करने के लिए पर्याप्त समय होगा।**

21. उपरोक्त के आलोक में, यह काफी स्पष्ट है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह साबित करने में विफल रहा है कि अपीलार्थियों की मृतक को आत्महत्या करने के लिए उकसाने, सहायता करने या दुष्प्रेरित करने की कोई मंशा थी, परन्तु बिना पर्याप्त साक्ष्य के विचारण न्यायालय ने वर्तमान अपीलार्थियों को भा.द.वि. की धारा 306 सहपठित धारा

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

34 के तहत सिद्धदोष किया, अतः विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष भा.द.वि. की धारा 306 तथा 107 के उपबंधों के अनुरूप नहीं हैं और वे पोषणीय नहीं हैं।

22. परिणामस्वरूप, अपीलें स्वीकार की जाती हैं और 29.02.2008 दिनांकित दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय और दण्डादेश को एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है और अपीलार्थियों को उपरोक्त आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

23. बी. एन. एस. एस., 2023 की धारा 481 के उपबंध को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक अपीलार्थियों को रु. 25,000/- के व्यक्तिगत बंध-पत्र संबंधित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है, जो छह माह की अवधि के लिए प्रभावी होगा, एक वचन के साथ कि वर्तमान निर्णय के विरूद्ध विशेष अनुमति याचिका दायर करने या अनुमति प्रदान किए जाने के लिए याचिका दायर करने की स्थिति में, उपरोक्त अपीलार्थी नोटिस प्राप्त होने पर, माननीय सर्वोच्च न्यालालय के समक्ष उपस्थित होंगे।

24. इस निर्णय की एक प्रति के साथ विचारण न्यायालय के अभिलेख को अनुपालन और आवश्यक कार्रवाई हेतु तुरंत संबंधित विचारण न्यायालय को वापस भेजा जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही /-

(रजनी दुबे)

न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur